

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान

दीपिका

बनाम

सुजा पोद्दु

किस्म मुकदमा

पारा-223

मि.नं.

2022/6

सन

अभिभाषक अपीलान्त

श्री राजेंद्र नागर

अभिभाषक रेस्पोंडेंट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10/1/24.	<p>पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कैम्प स्थगित / (अधीनस्थ न्याया-कार्ड्स) कडोलेन्स/हडत्पल होने से पत्रावली पूर्व (जब यह चुका है) आदेशानुसार दिनांक 01/01/24 को पेश हो।</p> <p>(दीपिका सम्बन्ध मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
26/3/24.	<p>पत्रावली पेश हुई/आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वारंटे जारी दिनांक 05/06/24 को पेश हो।</p> <p>(ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	05/06/24.
5.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई अपीलान्त एवं उनके अभिभाषक को तीन बार रूक-रूक कर आवाजे लगावायी गयी फिर भी उनसे कोर्ट से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का भवलोत्तर भिजा गया, रेस्पों. उ.। ल. 15 के तैयार सम्पन्न तामील जस्टिस रजिस्टर्ड रूप में आदिनांतु लड पेश नहीं किये गये हैं। अतः पत्रावली अफस हाजरी एवं अफस पैरवी में श्वारिज की जाती है। पत्रावली फिलत शुका होकर बाद तामील तडकील दाखिल दफ्तर में।</p> <p>(ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



20/1/22



21/1/22

FD.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा

केम्प बारां जिला बारां , राज0

श्री अजय नाराज एडवोकेट
गर्ह 1 4 P.O. महाराज बाजार
कोटा राजस्थान

श्री

आद जानं पेश

सु-प्रवच अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

- 1- चौथमल पुत्र श्री धन्ना जाति धाकड नि0 बमोरीघाटा तहसील
छीपाबडोद जिला बारां , राज0 (मृतक)
- 1/1- परमानन्द आयु 36 वर्ष पुत्र श्री चौथमल
- 1/2- शीलाबाई आयु 39 वर्ष पुत्री श्री चौथमल
- 1/3- सोनाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री श्री चौथमल
- 1/4- सुशीलाबाई आयु 27 वर्ष पुत्री श्री चौथमल
- 1/5- शांतिबाई आयु 62 वर्ष बेवा श्री चौथमल

जातिगण धाकड नि0 बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद

- 2- शंकर पुत्र धन्ना
- 3- नन्द जी पुत्र धन्ना
- 4- भगवती बाई पुत्री धन्ना
- 5- बरदीबाई पुत्री धन्ना
- 6- जानकीबाई पुत्री धन्ना

जातिगण धाकड निवासीगण बम्बोरीघाटा तहसील छीपाबडोद
जिला बारां , राज0

- अपीलान्त

- बनाम -

- 1- बृजमोहन पुत्र गुलाबबाई
 - 2- शंकर पुत्र गुलाबबाई
 - 3- रुकमणी पुत्री गुलाबबाई
- जातिगण धाकड निवासीगण बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद
- 4- रामकन्या उर्फ कन्याबाई पुत्री माधो जाति धाकड निवासी
बमोरीघाटा तहसील छीपाबडोद जिला बारां (मृतक)

- 4/1- बाबूलाल पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई
4/2- रमेश पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई
4/3- पप्पू पुत्र रामकन्या उर्फ कन्याबाई
4/4- शांतिबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई
4/5- बिरधीबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई
4/6- राधाबाई पुत्री रामकन्या उर्फ कन्याबाई
जातिगण धाकड निवासीगण आनापुरा तहसील बमोरी
जिला गुना, म0 प्र0
5- श्योजी पुत्र माधो जाति धाकड निवासी बमोरीघाटा तह0
छीपाबडोद जिला बांरा , राज0
6- भैरूलाल पुत्र किशना /
7- रामचरण पुत्र किशना /
8- गोविन्दीबाई पुत्री किशना /
9- जगन्नाथ पुत्र कान्हा /
10- रामस्वरूप पुत्र कान्हा /
11- कैलाबाई पुत्री कान्हा /
12- सत्यनारायण पुत्र भैरु /
जातिगण धाकड निवासीगण बमोरी घाटा तहसील छीपाबडोद
13- संरपच, ग्राम पंचायत बमोरी घाटा तह0 छीपाबडोद
14- राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक, छीपाबडोद
15- राज0सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद जि0 बांरा(सज0)

- रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

विरुद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 08.05.2017

बउनवान मुकदमा बृजमोहन वगैराह बनाम

चौथमल वगैराह दावा धारा 88, 89, 91, 92(ए),

Sampyadha

53 व 188 आर0 टी0 एक्ट वाद सख्या
158/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडोद जिला बारा, राज0

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर
निवेदन करते है -

1- यह कि रेस्पो0 क्रम 1 ता 5 द्वारा अपीलान्ट/वादीगण
क्रम 1 ता 6 व रेस्पो0 क्रम 7 ता 16 के विरुद्ध अधिनस्थ
न्यायालय मे एक वाद धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53 व 188 आर.टी.
ए. का प्रस्तुत किया था । जिसमे दिनांक 12.04.2017 को एक
तरफा निर्णय व एक तरफा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.04.2017
पारित करते हुये आदेश दिया है कि वादी का वाद स्वीकार किया
जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरी घाटा तहसील
छीपाबडोद के खसरा नं. 309 रकबा 9.17 बीघा, खसरा नं. 746
रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 752 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नं. 847
रकबा 0.19 बीघा, खसरा नं. 848 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं. 896
रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 914 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नं. 927
रकबा 5 बीघा एवं खसरा नं. 871 रकबा 11.18 बीघा मे से 1/2
का तथा खाता सं. 248 के खसरा नं. 1156/871 रकबा 21.05
बीघा मे से 2.05 बीघा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6
को खातेदार घोषित किया जाता है । वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1
ता 6 की भूमि का पृथक पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन
प्रस्ताव भिजवाने हेतू तहसीलदार छीपाबडोद को आदेशित किया
जाता है, जो विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है ।

Sanyal